श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर , शिविर रीवा

(म०प्र०)

1- त्रिवेणी प्रसाद तनय ठाकुर प्रसाद ब्रा० मृत

2- भैयालाल तनय श्री त्रिवेणी प्रसाद ब्रा०

दोनो निवासी ग्राम बुढ़वा तहसील रायपुर कर्चु, जिला रीवा म०प्र०

------- आवेदकगण

बनाम

1- चिन्तामणि तनय मंगलप्रसाद

2- पूर्णेन्दु प्रसाद तनय रघुवंश प्रसाद

3- छोटेलाल तनय सुदर्शन प्रसाद

4- श्रीमती मानवती पत्नी जगत सभी निवासी ग्राम बुढ़वा त०

रायपुर कर्चु० जिला रीवा म०प्र० ------ अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान्
आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा म०प्र०
के राजस्व प्रकरण क्रमांक-82नि०/ 93-94
आदेश दिनांक -24.3.2003,

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०
सं० 1959

मान्यवर,

आधार निगरानी निम्न है:-

1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विरुद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है ।

2- यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में आए मौखिक तर्क एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का सही ढंग से अवलोकन किए बिना विधि की मंशा के प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने में महान विधिक भूल की है ।

क्रमशः2...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 550–दो/2003 निगरानी जिला रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/11/17	यह निगरानी आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्र.क्र. 82/93–94 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24–3–2003 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ उभय पक्ष की ओर से लेखी बहस प्राप्त है, लेखी बहस के साथ उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ लेखी बहस के तथ्यों एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि तहसीलदार रायपुर ने ग्राम की नामान्तरण पंजी कमांक 32 पर आदेश दिनांक 17–11–1987 से नामान्तरण प्रमाणित किया है। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी रायपुर/गुढ़ के समक्ष अपील कमांक 93/87–88 अ–6 एंव अपील कमांक 113/87–88 अ–6 प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों प्रकरणों में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 12–7–88 से तहसीलदार का आदेश दिनांक 17–11–87 निरस्त किया तथा प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई कर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया है। इस आदेश के विरूद्व कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत हुई। कलेक्टर रीवा ने प्रकरण कमांक 12अ–6/88–89 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 21–8–90 से निगरानी निरस्त की। इस आदेश के विरूद्व आयुक्त , रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 82/1993–94 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24–3–2003 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है ।	

4/ विचार योग्य बिन्दु है कि अनुविभागीय अधिकारी रायपुर/गुढ़ ने अपील कमांक 93/87–88 अ–6 एंव अपील कमांक 113/87–88 अ–6 में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 12–7–88 से तहसीलदार का आदेश दिनांक 17–11–87 निरस्त किया है तथा प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई कर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया है । फलस्वरूप उभय पक्ष को तहसील न्यायालय में अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करने का उपचार प्राप्त है । अनुविभागीय अधिकारी रायपुर/गुढ़ व्दारा पारित आदेश दिनांक 12–7–88 में, कलेक्टर रीवा व्दारा पारित आदेश दिनांक 21–8–90 में , आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा पारित आदेश दिनांक 24–3–2003 में निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो में क्या विसंगतियॉ हैं – आवेदकगण की ओर समाधान नहीं कराया जा सका है, जिसके कारण आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 82/1993–94 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24–3–2003 में हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव गई। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 82/1993–94 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24–3–2003 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य